पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 229/2025

राजाराम पुत्र अजीत कुमार जाति जाट निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम्

1. सावित्री पुत्री रूघवीर पत्नी बंताराम जाति जाट निवासी मसीतांवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ
2. अजीत कुमार पुत्र रूघवीर
3. बलराम पुत्र अजीत कुमार
4. मन्जू पुत्री अजीत कुमार

(2 से 4) जाति जाट निवासीयान रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ ।

प्रतिवादीगण

डिक्री दिनांक 10/7/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री करनैल सिंह व प्रतिवादी वकील महावीर वर्मा अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोश डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है चकनं० 1 एजी के खाता सं0 29/25 में दर्ज कुल 3.795 है0 में से सावित्री के नाम से दर्ज 1/4 हिस्सा की आराजी के वादी व प्रतिवादी स0 3 को ब0हि0ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चक न01 एजी के खाता सं0 29/25 में प्रतिवादी स0 1 सावित्री का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृशि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 10/7/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण) R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी